



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2816 /अका./का.प/2024

रायपुर, दिनांक 07/03/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '85वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 07.03.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

**डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष**

- |                            |         |                         |         |
|----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे          | – सदस्य | 5. डॉ. रोहिणी प्रसाद    | – सदस्य |
| 2. डॉ. राजीव चौधरी         | – सदस्य | 6. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | – सदस्य |
| 3. डॉ. संजय जे. डहरवाल     | – सदस्य | 7. डॉ. बिजयानंद सिंह    | – सदस्य |
| 4. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिज | – सदस्य |                         |         |

**डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव**

## कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: संपुष्टि कर सूचना ग्रहण की गई।

## गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 के अनुसार अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति में निम्नानुसार सदस्यों के नाम का अनुमोदन किया गया :-

- (1) कार्यपरिषद् से एक सदस्य – डॉ. रोहिणी प्रसाद
- (2) संकायाध्यक्ष से एक सदस्य – डॉ. एस.जे. डहरवाल
- (3) विद्यापरिषद् से एक सदस्य – डॉ. राजीव चौधरी
- (4) विद्यार्थी परिषद् से एक सदस्य – कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. अंकेक्षण शुल्क सत्र 2018-19 एवं 2019-20 का कुल राशि रु. 44,31,408/- (रुपए चौवालिस लाख इकत्तीस हजार चार सौ आठ मात्र) का भुगतान A. General Administration 10 Audit Fee में प्रावधानित राशि रु. 40.00 लाख (रुपए चालीस लाख मात्र) एवं शेष राशि रु. 4,31,408/- (रुपए चार लाख इकत्तीस हजार चार सौ आठ मात्र) A. General Administration 35 All Campus Wi-Fi Facility में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से भुगतान (संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायपुर-1 को) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

4. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी का माह फरवरी-2023 से नवम्बर-2023 तक 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन की एरियर्स की राशि रुपए 7,94,075.00 (रुपए सात लाख चौरानबे हजार पचहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

## पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 05.03.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय: विद्यापरिषद् के कार्यवृत्त बिन्दु क्र. 08 एवं अध्यक्ष के अनुमति से निर्णय अंश के क्र. 01 के सापेक्ष लिए गए निर्णय के क्रम में साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत क्रमशः एम.ए. संस्कृत (20 सीट) एवं एम.ए. सिंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सहमति के साथ विद्यापरिषद् की कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को हुए अधिक भुगतान योग्य राशि के समायोजन हेतु किश्त निर्धारण किए जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को हुए अधिक भुगतान योग्य राशि के समायोजन हेतु किश्त निर्धारण किए जाने के संबंध में निम्नानुसार समिति गठन किए जाने का अनुमोदन किया गया :-  
(1) श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, वित्त नियंत्रक  
(2) डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान  
(3) डॉ. बी.एस. ठाकुर, प्राध्यापक, गणित अध्ययनशाला
3. विश्वविद्यालय में लैब अटेंडेंट से लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय: विस्तृत टीप के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. श्री मोहर लाल साहू, द्वितीय श्रेणी लिपिक, परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी. एस. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,87,146.00 (रुपए ग्यारह लाख सत्यासी हजार एक सौ छियालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

### मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (MMTC) से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय अनुदान अयोग से प्राप्त क्रमांक D.O.NO.F.1-5/2024(MMTTP Guidelines) दिनांक - 22 फरवरी, 2024/3 फाल्गुन, 1945 के माध्यम से मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए नई मार्गदर्शिका को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सैद्धांतिक रूप से अंगीकृत करने की सहमति प्रदान की गई।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. गोपनीय मुद्रण भुगतान की राशि रुपए 80,81,422.00 (रुपए अस्सी लाख इक्यासी हजार चार सौ बाईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वर्ष 2023 की सेमेस्टर परीक्षा (सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2023, जनवरी 2024) के गोपनीय मुद्रण भुगतान की राशि रुपए 80,81,422.00 (रुपए अस्सी लाख इक्यासी हजार चार सौ बाईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु अनुमानित अग्रिम राशि रु. 1,82,28,500/- (रुपए एक करोड़ बयासी लाख अट्ठाइस हजार पाँच सौ मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वार्षिक परीक्षा 2024 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई के माध्यम से कराए जाने हेतु निम्नानुसार संभावित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई :-

- (1) लगभग 11 लाख 60 हजार उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु लगभग रुपए 1,74,000,00/- (रुपए एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)
- (2) उत्तर-पुस्तिका हेतु बाहर मूल्यांकन हेतु आने वाले प्राध्यापकों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान हेतु लगभग रुपए 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र)
- (3) केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई में 06 सहायक समन्वयक, 07 तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं 07 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु लगभग रुपए 3,55,500 (रुपए तीन लाख पचपन हजार पाँच सौ मात्र)
- (4) आकस्मिक व्यय एवं स्टेशनरी पर लगभग रुपए 30,000/- (रुपए तीस हजार मात्र)
- इस प्रकार कुल राशि रु. 1,82,28,500/- (रुपए एक करोड़ बयासी लाख अट्ठाइस हजार पाँच सौ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 29.02.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय में उपलब्ध रद्दी कागज के विक्रय के संबंध में विचार करना।

निर्णय: रद्दी कागज के विक्रय के संबंध में विकास विभाग व गोपनीय प्रभारी से कार्यपरिषद् के सदस्यों ने जानकारी प्राप्त किया। प्रभारी द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि पूर्व में निविदा के माध्यम से चयनित अर्हताधारी फर्म (जो रद्दी क्रय कर रही थी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत दर से 10% राशि वृद्धि के साथ रद्दी क्रय करने के लिए सहमति प्रदान की गई है। माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों ने विकास विभाग के प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में उपलब्ध रद्दी कागज के विक्रय के संबंध में पूर्व दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए फर्म को विश्वविद्यालय में उपलब्ध रद्दी कागज के विक्रय किए जाने का अनुमोदन करते हुए आगामी सत्र में रद्दी कागज विक्रय नवीन निविदा के माध्यम से कराए जाने का अनुमोदन किया।

10. स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: निविदा सूचना क्र. 52/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 24/01/2024 के द्वारा छ.ग. संवाद के माध्यम से प्रकाशित निविदा पर प्राप्त निविदाकर्ताओं का निविदा प्रपत्र दिनांक 24.02.2024 को खोला गया। न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा दक्ष स्टेशनरी, रायपुर, यश स्टेशनरी हाऊस, रायपुर एवं विनायक इंटरप्राइजेस, रायपुर का विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है। उक्त फर्मों को निम्नांकित न्यूनतम दर के आधार पर स्टेशनरी सामग्री क्रय करने हेतु आदेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Daksh Stationers, Raipur	रु. 1,43,500.00
2.	Yash Stationery House, Raipur	रु. 5,19,000.00
3.	Vinayak Enterprises, Raipur	रु. 16,59,925.00

11. प्रिन्टेड पुस्तकों की क्रय आपूर्ति/प्रदायता के लिए प्रकाशकों/विक्रेताओं के मनोनयन एवं दर अनुबंध हेतु।

निर्णय: निविदा सूचना क्रमांक 27/विकास/नि.सू./2024 दिनांक 12.01.2024 के सापेक्ष आवेदनकर्ता फर्मों का फाइनेंसियल बिड दिनांक 22.02.2024 को खोला गया। पुस्तक क्रय हेतु MRP में निम्नानुसार अधिकतम छूट (Discount) प्राप्त हुआ :-

S/n	Publication	Discription	Discount (%) In Fig.	
1	Indian Publications	Print	PB	23.56 %
			HB	41.56 %
2	Foreign Publications	Print	PB	27.27 %
			HB	40.06%
3	Govt./Society/ Institution/NGO	Print	PB	5 %
			HB	5 %

निविदा के शर्तों की कंडिका 3.10 के अनुसार तकनीकी अर्हताधारित 05 फर्मों से उपरोक्त अधिकतम छूट (Discount) पर पुस्तक आपूर्ति करने के संबंध में सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया :-

1. Indica Publishers & Distributors Pvt. Ltd., 7/31, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi
2. Metro Books Pvt. Ltd., 4637/20, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi
3. Arvind Prakashan, 15-16, Durga Nursery Road, Ashok Nagar, Main Road, Udaipur (Rajasthan)
4. Rishabh Books, 22/4735, Prakashdeep Building, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi
5. Aadi Books, 39/18, Shakti Nagar, Delhi

उपरोक्त में से क्रमांक 03 में उल्लेखित फर्म को छोड़कर शेष 04 फर्मों के द्वारा अधिकतम छूट (Discount) पर पुस्तक आपूर्ति करने के लिए निःशर्त सहमति प्रदान किया है। जबकि Arvind Prakashan, Udaipur (Rajasthan) के द्वारा सशर्त रु.50=00 लाख का पुस्तक क्रय आदेश मिलने पर आपूर्ति की सहमति दी गई है। विश्वविद्यालय क्रय समिति DPC एवं CPC के द्वारा निविदा के शर्तों की कंडिका 3.10 के आधार पर उपरोक्त उल्लेखित समस्त फर्मों को निःशर्त अधिकतम छूट पर पुस्तक आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की गई।  
विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा उक्त अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गई।

### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह भवन हेतु ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कंपनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को राशि रु. 11,30,816/- (रूपए ग्यारह लाख तीस हजार आठ सौ सोलह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।


निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।


### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. यात्रा भत्ता हेतु विनियम बनाए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय स्तर पर यात्रा भत्ता हेतु विनियम बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई एवं विनियम निर्माण के लिए समिति गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ.क्रमांक : 2817 /अका./का.प/2024

रायपुर, दिनांक 07 /03 /2024

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)